

अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरुद्ध अभियान में प्रान्त पंजाब में निर्मित IMPERIAL BLUE व MCDOWELL'S ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब 774 पेटी कुल 6772 लीटर कीमत लगभग 6000000 रूप (साठ लाख रुपये) बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला व कोतवाली नगर की संयुक्त टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 01.04.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मतलपुर मोड़ फ्लाई ओवर के पास चेकिंग के दौरान एक ट्रक न0 UP26AT3253 आता हुआ दिखायी दिया, जिसको पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो चला रहे ड्राइवर द्वारा ट्रक लेकर भागने का प्रयास किया गया जिसको 200 से 300 मीटर जाते जाते हाईवे पर ही पकड़ लिया गया, जिसके पश्चात ट्रक को नियमानुसार चेक किया गया तो ट्रक में चुरी तथा मूंगफली परिवहन की बिल पर अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन करना पाया गया तथा ट्रक पर बंधी तिरपाल को खोलकर चेक किया गया तो उपर मूंगफली व चुरी की बोरिया मिली जिनको हटाने के उपरांत IMPERIAL BLUE की 180 ML की बोतल की कुल 564 पेटी प्रत्येक पेटी में 48 बोतल कुल 27072 बोतल कुल मात्रा 4872.96 लीटर तथा MCDOWELL'S की 750 ML की बोतल कुल 210 पेटी प्रत्येक पेटी में 12 बोतल कुल 2520 बोतल कुल मात्रा 1890 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब (कुल 774 पेटी कुल 6772 ली0) व घटना में प्रयुक्त एक अदद ट्रक बरामद हुई। पूछताछ वाहन चालक द्वारा अपना नाम मनोज पुत्र स्व0 सत्यवान सिंह निवासी विराजपुर गली न0 10 थाना 29 सेक्टर जनपद पानीपत हरियाणा बताया तथा बताया कि वह यह काम बाबा उर्फ कमल तथा ट्रक मालिक मो0 हनीफ पुत्र मो0 रईश खान सा0 पकरिया नौगवां थाना सुनगरी पीलीभीत के साथ मिलकर करता है तथा कई बार अवैध अंग्रेजी शराब बिहार पहुँचा चुका है। इस संबंध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना दक्षिणटोला पर मु0अ0सं0 49/2025 धारा 60/63/72 EX. ACT व 319(2)/318(4) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

मनोज पुत्र स्व० सत्यवान सिंह निवासी विराजपुर गली न0 10 थाना 29 सेक्टर जनपद पानीपत (हरियाणा) उम्र 41 वर्ष

#### ➤ वांछित अभियुक्तगण

1. सप्लायर बाबा उर्फ कमल पिता व पता अज्ञात
2. मो0 हनीफ पुत्र मो0 रईश खान सा0 पकरिया नौगवां थाना सुनगरी जनपद पीलीभीत उ0प्र0

#### ➤ बरामदगी का विवरण

1. IMPERIAL BLUE की 180 ML की बोतल की कुल 564 पेटी प्रत्येक पेटी में 48 बोतल कुल 27072 बोतल कुल मात्रा 4872.96 लीटर लीटर MCDOWELL'S की 750 ML की बोतल कुल 210 पेटी प्रत्येक पेटी में 12 बोतल कुल 2520 बोतल कुल मात्रा 1890 लीटर।

## 2. एक अदद टूक बरामद ।

### ➤ आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 49/2025 घारा 60/63/72 EX. ACT व 319(2)/318(4) BNS थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 52/22 घारा 60/63 आबकारी अधि० थाना सैयद रजा जनपद चंदौली
3. मु0अ0सं0 431/21 घारा 32(a), 32(2) (3), 36, 41(1) (2) आबकारी अधि० बिहार थाना गर्दनी जनपद पटना (बिहार)
4. मु0अ0सं0 200/18 घारा 3/13 जुआ अधि० थाना चाँदनीबाग जनपद पानीपत हरियाणा

### ➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. श्री अंजनी कुमार पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नगर जनपद मऊ
2. धर्मेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
3. अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. उ0नि० अरूण कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
5. हे०का० संदीप कुमार यादव थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
6. का० अमरनाथ मौर्य थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
7. का० सौरभ यादव थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
8. का० अमरेश सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
9. का० उमेश यादव श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के हमराह
10. का० पंकज कुमार श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के हमराह
11. का० अरूण कुमार यादव थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
12. का० आनन्द यादव थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
13. का० बृन्द कुमार थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
14. का० संजय कुमार थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

### 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 01.04.2025 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बापू इण्टर कॉलेज के पास से मु0अ0सं0 71/2025 धारा 137(2), 87, 3532, 351(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 72/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्तो गोविन्द राजभर उर्फ गोविन्दा पुत्र रामचन्द्र राजभर, दीपांशू उर्फ दीपू पुत्र नरसिंह राजभर निवासीगण कोपाकोहना थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

### गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम—

1. उ0नि० दुर्गेश कुमार थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
2. हे०का० अभयराज यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
3. का० प्रमोद कुमार थाना कोपागंज जनपद मऊ ।

**गुमशुदा/खोए कुल 04 मोबाइल फोन लगभग 73,000 (तिहत्तर हजार) रुपये कीमती बरामद कर उनके स्वामियों को किया गया सुपुर्द-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायलखन्सी साइबर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज गुमशुदगी को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल धारको का थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम द्वारा गुमशुदा 04 मोबाइलों लगभग 73,000 (तिहत्तर हजार) रुपये कीमती को बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। जिसमें अनुराग यादव पुत्र विनोद कुमार निवासी औद्योगिक क्षेत्र ताजोपुर थाना सरायलखन्सी, सूर्यबली राम पुत्र रामराज निवासी भाटपार जनपद देवरिया वर्तमान पता- छोटी रस्तीपुर थाना सरायलखन्सी, बनारसी राम पुत्र स्व0 खिल्ला निवासी सरवां थाना सरायलखन्सी, प्रभाकर चौहान पुत्र वैजनाथ चौहान निवासी गोकुलपुरा थाना रानीपुर जनपद मऊ आवेदको द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

**बरामदकर्ता पुलिस टीम-**

प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश सिंह, निरीक्षक अपराध श्री हरेन्द्र सिंह, उ0नि0 नयन कुमार बर्नवाल, म0उ0नि0 अंशी शुक्ला क0आ0 आशीष द्विवेदी, आरक्षी धीरज कुमार, म0आ0 शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

**चोरी की एक अदद मोबाइल फोन के साथ थाना स्तर का हिस्ट्रीशीटर व टॉप टेन अपराधी गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 31.03.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रामलाल की गली भीटी के पास से मु0अ0सं 32/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 303(2), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अप्पू यादव पुत्र हृदय नारायण यादव साकिन भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की एक अदद मोबाइल फोन बरामद कर गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया। उक्त अभियुक्त हत्या के प्रयास के मामले में प्रकाश में आया अभियुक्त था। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध लूट, चोरी मारपीट, गैगेस्टर जैसे जनपद के विभिन्न थानो में कुल 14 अभियोग पंजीकृत है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. अप्पू यादव पुत्र हृदय नारायण यादव साकिन भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

**बरामदगी-**

1. एक अदद मोबाइल फोन।

**गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. उ.नि.शंकर यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
2. हे.का.राजेश यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
3. का.अनिकेत राघव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
4. का.हरेन्द्र गुप्ता थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।